रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 1972/ज्येष्ठ 1, 1894

No. 114] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 1972/JYAISTHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd May 1972

No. DRAWBACK PN-41/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Dutie Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRA WBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-Serial No. 3913 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3913	Hand Tools (other than those made by castings), namely, the following : Allen Head Key, all types, Pliers, Spanners, Wrenches, Screws and Nut Drivers, all types, Sockets and Ratches, all types.	4·2% (Four point two percent) of the F.O.B. value.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 1972

सं० प्रतिग्रदायगी/पी०एन० 41/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधि-सूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70 प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 3913 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
3913	हाथ औजार (ढालकर बने हुए से भिन्न), जो निम्नलिखित हैं :— सभी किस्म की एलेन हैंड कुंजियां, तथा सभी किस्म के प्लायर, पाना, रेंच, स्क्रू, नटक्स और सभी किस्म के साकेट, रैजेट ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4.2 प्रतिशत (केवल चार दशमलव दो प्रतिशत)

No. DRAWBACK/PN-42/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No.52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table, published in the Public Notice No.DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-Serial Nos. 3708 and 3817 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3708	Gun metal ingots and articles made therefrom.	Rs. 4.17 (Rupees four and seventeen paise only) per Kg.
3817	Gun metal valves all sorts and parts thereof.	(a) Rate admissible under Sub-Serial No. 3708 in respect of gun metal content. (b) Re. 0·06 (Six paise only) per Kg. of iron content. (c) Rate admissible under Sub-Serial No. 3621 in respect of bolts and nuts.

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 42/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 3708 तथा 3817 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

उप-क्रम सं०	वस्तुओं का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
3708	गन मेटल की सिल्लियां और उससे बनी वस्तुएं	केवल 4.17 रु० (चार रुपये सत्रह पैसे) प्रति किलोग्राम
3817	गन मेटल वाल्व, सभी किस्में और उनके पुर्जे	(क) गन मेटल अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 3708 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर (ख) लोहा अन्तर्वस्तु का केवल 0.06 पैसे (छः पैसे) प्रति किलोग्राम (ग) बोल्ट नट के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 3621 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर

No. DRAWBACK/PN-43/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notificaton No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table publishedin the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-Serial No. 3704 and entires relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3704	Solder wires and Solder Sticks, all sorts, whether rosin cored or not containing lead and tin.	Rs. 7·65 (Rupees seven and sixty-five paise only) per Kg. of tin content and Rs. 1.35 (Rupee one and thirty-five paise only) per Kg. of lead content.

M. PANCHAPPA,
Director of Drawback.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 43/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 3704 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
3704	सीसा व टिन युक्त सभी प्रकार की सोल्जर वायरें और सोल्जर स्टिकें चाहें उन पर रोजिन कोर्ड हो अथवा नहीं ।	टिन अन्तर्वस्तु का 7.65 रु० (केवल सात रुपये पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम और सीसा अन्तर्वस्तु का 1.35 रु० (केवल एक रुपय पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

म० पंचप्पा,
निदेशक (प्रतिअदायगी) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972